न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-98/2004

1- सुरेशकुमार पुत्र स्याराम जाति जाट निवासी नान्द का बास तहसील व जिला झुन्झुनू ।

2- औंकारमल पुत्र खेमचन्द जाति जाट निवासी नान्द तहसील व जिला झुन्झुनू ।

--अपीलान्टस्--

--बनाम---

सन्तरा देवी स्त्री विरेन्द्रसिह जाति जाट निवासी हमीरवास तहसील व जिला झुन्झुनू ।

--रेस्पोडेन्ट--

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 20-8-2004 द्वारा उप खण्ड अधिकारी झुन्झुनू ।

---0---

उपस्थिति-

1- श्री शिवनारायणसिंह एडवोकेट- अपीलान्ट

2- श्री विजयपाल एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 12.2.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम नान्द में आराजी खसरा नं0-24 रकबा 19 बीघा 2 बिस्वा का पहले टीनेन्ट रामगोपाल रहा जिसका देहान्त सन् 2002 में हो गया । अनावेदीका सं0-1 रामगोपाल की विधवा है । रामगोपाल व अनावेदीका संख्या-1 के कोई सन्तान नहीं है ।इन्होने दिनांक 14-1-1979 को आवेदीका को बतौर पुत्री दत्तक ग्रहण किया जिसमें गोद के समय गीविंग एवं टेकिंग का दस्तूर किया गया जिसमें गीत गाये गये सभी रश्म पूरी की गई । अनावेदीका सं0-1 ने दिनांक 19-11-2003 को गोदनामा तस्दीक करवा दिया । इस कारण रामगोपाल की तिथिक तारिख अनावेदीका

सं0-1 एवं आवेदीका हुई । जिससे उक्त आराजी रामगोपाल के फौत होने के बाद दोनों को उत्तराधिकार में बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई किन्तु रामगोपाल के फौत होने पर फौती इन्तकाल संख्या-339 दिनांक 17-2-2003 अनावेदीका सं0 -1 के नाम स्वीकृत हुआ जो आवेदीका के अधिकारों के विपरित है जो बिना वारिसों की तथा मौके की जांच किये बिना तस्दीक किया गया है । अनावेदक सं0-2 ने अनावेदीका सं0-1 से एक दान पत्र दिनांक 8-4-2004 को तस्दीक करवा लिया जो आवेदीका के अधिकारों के विपरित शून्य है । आवेदीका उक्त आराजी की 1/2 हिस्से की कोटीनेन्ट है ।उक्त आराजी अनावेदीका सं0-1 की स्वअर्जित आराजी नहीं है। कानूनन अनावेदीका सं0-1 अपने 1/2 हिस्से का ही दान कर सकती है । सम्पूर्ण आराजी का दान पत्र किया गया जो शून्य है । उक्त दान पर की आड में अनावेदक आवेदीका को बेदखल कर आराजी को खुर्द बुर्द हस्तान्तरण करने पर आमादा है । यदि अनावेदकगण ऐसा करते हैं तो आवेदीका का दावा करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अनावेदकगण को पाबन्द किया जावे कि वह आराजी का अन्तरण हस्तान्तरण नहीं करें खुर्द बुर्द न करें राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे । अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है ।भूमि ख0नं0 24 रकबा 19 बीघा 2 बिस्वा का अपीलान्ट अकेली रेकार्डेड खातेदार काश्तकार थी । जैसा जमाबन्दी सं0-2048 से 2051 तक की लाल रोशनी से स्पष्ट है। अपीलान्ट संख्या-1 के पति रामगोपाल का देहान्त हो चुका। राम गोपाल के कोई पुत्र अथवा पुत्री सन्तान नहीं है तथा ना ही रामगोपाल ने अपने जीवनकाल में किसी को गोद लिया है तथा ना ही अपीलान्ट संख्या-1 ने किसी को गोद लिया है। इस कारण रामगोपाल की मृत्यु के बाद उक्त आराजी की खातेदारी अपीलान्ट संख्या-1 के नाम दर्ज हुई ।जिसको अपीलान्ट संख्या-1 ने उक्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 8-4-2004 को अपने देवर

के हक में करवाया है । तथा कब्जा अपीलान्ट संख्या-2 को सम्भला दिया तब से उक्त आराजी पर अपीलान्ट संख्या-2 काबिज काश्तकार दर्ज है ।दान पत्र के आधार पर नामान्तरकरण सं0-342 अपीलान्ट संख्या-2 के नाम तस्दीक किया गया है । जिसका जमाबन्दी सं0- 2048 से 2051 में लाल स्याही से अंकन किया गया है । इस प्रकार उक्त आराजी का अपीलान्ट संख्या-2 अकेला इस आराजी का खातेदार काश्तकार हो गया । रेस्पोडेन्ट ने अपने आपको गोद पुत्री बताकर दावा किया है किन्तु इस गोद नामें को निरस्त कराने का अपीलान्ट संख्या-1 ने सिविल न्यायालय में दावा सं0-13/2004 पेश कर रखा है जो विचाराधीन है । रामगोपाल ने रेस्पोडेन्ट के पिता मगाराम की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से उसकी रेस्पोडेन्ट की शादी के लिये आर्थिक मदद की थी । तथा मगाराम व रामगोपाल का आपस में आना जाना था। तथा रेस्पोडेन्ट के पति ने अपीलांट संख्या-1 से राज्य सरकार से वृद्धावस्था पेंशन के बहाने किसी दफ्तर में ले जाकर कागजों पर अंगूठा निशानी करवा ली तथा गोदनामा तस्दीक करवा लिया । जिसकी जानकारी होने पर गोदनामा निरस्त कराने का दावा कर दिया । योग्य अदालत मातहत ने इन तथ्यों पर कोई गोर न कर अपना निर्णय दिया है अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यो को दौहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है एक रेकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता जैसा आरआरटी 2013(1) पेज 123, आरआरटी 2015(1) पेज-560 एवं आरआरटी 2015(1) पेज-633 में स्पष्ट किया है ।रेस्पोडेन्ट का विवादित

आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है । अदालत मातहत ने कब्जा काश्त बाबत भी कोई गौर न कर अपना आदेश विधि के विपरित पारित किया है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का आदेश निरस्त किया जावे

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में अदालत मातहत के निर्णय को उचित ठहराते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या-1 को अपीलान्ट संख्या-1 ने विधि अनुसार गोद लिया है जिसमें गोद लेने की सभी रश्में अदा की गई है । जिसमें गोद लेने व देने की प्रक्रिया को पूरा किया गया है गोदनामा रजिस्टर्ड है ।जब तक गोदनामा निरस्त नही हो जाता विवादित आराजी में रेस्पोडेन्ट का 1/2 हिस्सा है और रेस्पोडेन्ट का हिस्सा 1/2 होने से अपीलान्ट सम्पूर्ण आराजी का दान पत्र कानूनन नहीं करवा सकती । इस विधि विरूद्ध दान पत्र के आधार पर आराजी का अन्तरण करना एवं रेस्पोडेन्ट को बेदखल किये जाने से रेस्पो0 को अपूर्ति क्षति होगी तथा दावा पेश करने का उदेश्य ही समाप्त हो जायेगा । अपीलान्ट के साथ रेस्पोडेन्ट रामगोपाल की वारिस है जिससे उसका रामगोपाल की आराजी में 1/2 हिस्सा है । किन्तु अपीलान्ट ने विधि विरूद्ध दान पत्र तस्दीक करवा दिया जिससे रेस्पोडेन्ट पाबन्द नहीं है । अदालत मातहत में तीनों बिन्दूओं पर चर्चा करने के बाद राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर आदेश पारित किया है ।जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अपीलान्ट की अपील को खारिज किया जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं0-2048 से 2051 में आराजी ख0नं0 24 रकबा 19 बीघा 2 बिस्वा की खातेदारी रामगोपाल के नाम दर्ज है। इस जमाबन्दी पर नामान्तरकरण सं0 339 से रामगोपाल के बजाय ज्यानादेवी बेवा रामगोपाल का नाम दर्ज किया है दान पत्र दिनांक 8-4-2004 में ज्यानादेवी ने उक्त आराजी का दान पत्र अपीलान्ट संख्या-2 ओंकारमल के नाम किया है । गोद पत्र दिनांक 19-11-2003 ज्यानादेवी बेवा रामगोपाल द्वारा रेस्पोडेन्ट सन्तरादेवी को गोद पुत्री लेना स्वीकार किया है । गोद पत्र तस्दीक किया है जिसमें गवाहों के हस्ताक्षर है ।

गोद पत्र को निरस्त कराने का दावा किया जाना अपीलान्ट ने अपने जबाब एवं अपील में पेश किया है किन्तु जब तक गोद पत्र निरस्त नहीं हो जाता रेस्पो0 को इस आराजी से बेदखल किया जाता है तो अपीलान्ट के बजाय रेस्पोडेन्ट को अपूर्ति क्षति होगी । गोद पत्र रजिस्टर्ड होने एवं रेस्पोडेन्ट के शादी के कार्ड में पिता की जगह दत्तक पुत्री रामगोपाल दर्ज है । जिससे प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन भी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में साबित है । अपीलान्ट ने नजीर पेश की है उसमें रेकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में रेकार्ड में विधि के विपरित अंकन हुआ है जिससे प्रस्तुत नजीरों के तथ्य इस प्रकरण से भिन्न है ।जो प्रकरण पर चस्पा नहीं है ।अदालत मातहत ने अपना आदेश विधि संगत पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी झुन्झुनू का निर्णय दिनांक 20-8-2004 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 12.2.2018 को सुनाया गया ।

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर